

एलपीजी सब्सिडी से निकलने हेतु (घोषणा प्रपत्र)

उपभोक्ता विवरण

उपभोक्ता का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती

उपभोक्ता संख्या

एलपीजी आईडी

वितरक विवरण

वितरक का नाम

मेसर्स

प्रिय एलपीजी वितरक,

मुझे ज्ञात है कि भारत सरकार के दिनांक 28.12.2015 के निर्देशानुसार उस उपभोक्ता को, जिसकी अथवा जिसकी/जिसके पत्नी/पति की कर योग्य आय यदि पिछले वित्त वर्ष के दौरान रु.10,00,000/- (रुपये दस लाख) से अधिक थी (आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अभिकलित), एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

1. मेरी अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति की वार्षिक आय रु.10 लाख से अधिक है।

2. मेरी अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति की वार्षिक आय रु.10 लाख से कम है।

कृपया उपयुक्त
बॉक्स में टिक करें

पैन विवरण

पैन संख्या* (उपभोक्ता)

पैन नहीं है

पैन संख्या* (उपभोक्ता का/की पति/पत्नी)

पैन नहीं है

*कृपया पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

ऊपर दी गई सूचना सही है एवं मुझे पता है कि झूठी सूचना देना भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।

सब्सिडी पात्रता हेतु मेरे अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति की आय में किसी प्रकार का संशोधन होने पर मैं इस घोषणा पत्र को दोबारा जमा करूंगा।

दिनांक _____

स्थान _____

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

पावती पर्ची

(नाम) _____ उपभोक्ता संख्या _____ से आय संबंधी

घोषणा पत्र प्राप्त किया गया।

दिनांक:

एलपीजी वितरक के हस्ताक्षर व मुहर